



2026:AHC-LKO:20552

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 2108/2025

दिव्या शर्मा और अन्य

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, गृह विभाग लखनऊ के माध्यम से

... विरोधी पक्ष (गण)

---

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : दिनेश कु. चौधरी, अमर सिंह, अरविन्द यादव,

दिनेश कु. चौधरी, रिपु दमन शाही, शेष मणि शुक्ल

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

न्यायालय सं. - 23

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आज दाखिल किया गया पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय

अधिवक्ता को सुना गया, तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह आवेदकों की ओर से दाखिल किया गया पहला ज़मानत आवेदन है, जो वाद अपराध संख्या 564/2024, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत, पुलिस थाना सफदरगंज, ज़िला बाराबंकी में दर्ज मामले में संलिप्त हैं।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह वाद दीवानी प्रकृति का है। आवेदक यह वचन देता है कि जेल से रिहा होने के बाद, वह एक माह के भीतर संबंधित राशि का भुगतान कर देगा। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक संख्या 1 और 2 का आपराधिक इतिहास क्रमशः दस और नौ वादों का है, जिसका विवरण जमानत आवेदन के अनुच्छेद 11 और 12 में दिया गया है; और वे दिनांक 17.12.2024 से जेल में निरुद्ध हैं। आवेदकों के जेल से रिहा होने के बाद भाग जाने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।



पेश की गई दलीलों पर उचित विचार करने, अभिलेख की जाँच करने, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक दिनांक 17.12.2024 से जेल में हैं; आवेदकों के आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया गया है, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदकों को ज़मानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त वाद मानता हूँ।

तदनुसार, ज़मानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक - **दिव्या शर्मा** और **अभिजीत शर्मा**, जो उपरोक्त वाद/प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल हैं, उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने होंगे। यह ज़मानत निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा रही है, जो न्याय के हित में लगाई गई हैं:

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेंगे /उन्हें डराएंगे धमकाएंगे नहीं।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, ताकि उसे उन तथ्यों को न्यायालय या किसी



पुलिस अधिकारी के समक्ष बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iv) आवेदक एक लिखित वचन देंगे कि वे साक्ष्य पेश करने के लिए निर्धारित की गई तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं करेंगे। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करे।

(v) आवेदक, निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। यदि वे बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(vi) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 की अंतर्गत उदघोषणा जारी की जाती है, और आवेदक उस उदघोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20 मार्च, 2026

श्रवण

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

Translated Version. Not for Legal Use.